कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर

Email id- sjeajmer@yahoo.com टेलीफोन नं. 0145-4008829

कमांक:– सान्याअवि / 2021–22 / 9647 दिनांकः– 17.9.2021

बिड आमंत्रण सूचना संख्या...02/2021–22

उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के अधीन संचालित राजकीय छात्रावासो हेतु रसोइयो एवं चौकीदारों की सेवाएं जॉब बेसिस पर लेने हेतु राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत शर्तरहित ऑनलाईन (ई–प्रोक्योरमेंट) बोली आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय

क्र. स.	विवरण	विवरण
1	रसोईयों व चौकीदार की जॉब बेसिस पर सेवा की आपूर्ति का कार्य	शिड्युल G के अनुसार
2	अनुमानित लागत	55.00 लाख रूपये
3	बिड प्रपत्र शुल्क	500.00 रूपये
4	बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र	बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध मे घोषणा पत्र जिस पर 50 रुपये स्टाम्प ड्यूटी देय हैं। तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय हैं (घोषणा पत्र का मानक प्रारूप संलग्न है)
5	RISLप्रोसेसिंग फीस	1000.00 रूपये
6	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	18/09/2021 को सायः 6.00 बजे से
7	ऑनलाईन बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि	27/09/2021 को सायः 6.00 बजे तक
8	ऑनलाईन बिड मे दर्शाए गए बिड प्रपत्र शुल्क RISL प्रकिया शुल्क एवं बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र भौतिक रूप से जमा कराने की अन्तिम तिथि	28/09/2021 को प्रातः 11.00 बजे तक
9	ऑनलाईन तकनीकी बिड खोलने की तिथि	28/09/2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे
10	ऑनलाईन वित्तीय बिड खोलने की तिथि	ऑन लाईन सूचित कर दिया जायेगा

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

D/ARV19/19-20/ACC/NIVIDA

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर

Email id- sjeajmer@yahoo.com टेलीफोन नं 0145-4008829

तकनीकी बिड

1. उपापन संस्था का विवरण : उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
2. कार्य का विवरण : रसोईयों एवं चौकीदारों की जॉब बेसिस पर सेवा की आपूर्ति का कार्य
3. अनुमानित लागत : 55.00 लाख
4. बिड आमंत्रण संख्या : .... दिनांक ....
5. बोलीदाता का विवरण :

(1) फर्म /संस्था का पूरा नाम :..

(2) संस्था का प्रकार (एनजीओ/फर्म/कं./अन्य) :..

(3) पूर्ण पता : ....

....

(4) टेलीफोन नं. : ....

(5) मोबाईल नं. :..

(6) ई–मेल पता :..

संलग्न प्रमाण पत्रो का विवरण :–

क0सं0	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण	हां या नहीं	पेज नं जिस पर सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति संलग्न है।	वैधता अवधि का विवरण
A	ई–टेण्डर के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500 /– जमा कराने का ड्राफट /बैकर्स चैक नम्बर ....दिनांक ....व जारी कर्ता बैंक का नाम			
B	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क राशि रूपये 1000/– जमा कराने का ड्राफट /बैकर्स चैक नम्बर .... दिनांक .... व जारी कर्ता बैंक का नाम			
C	बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध मे घोषणा पत्र जिस पर 50 रुपये स्टाम्प डयूटी देय हैं,तथा इस स्टाम्प डयूटी की राशि पर 30 प्रतिशत सरचार्ज देय हैं (घोषणा पत्र का मानक प्रारूप संलग्न है)			
D	60 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र			

E	फर्म /संस्था के पंजीकरण /लाईसेंस की सूचना आदि A. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन)अधिनियम 1970 (सफल निविदा दाता को कार्यआदेश जारी के एक सप्ताह मे लाईसेस प्रस्तुत करना होगा)			
	B. कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952			
	C. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
	D. वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) नं.			
	E. इण्डियन पाटर्नशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 या राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958			
	F. आयकर (पैन नम्बर)			
F	गत तीन वर्षो की सी. ए .का ऑडिट रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20)			
G	गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20)			
H	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र			
I	गत तीन वित्तीय वर्षो 2017–18 से 2019–20 तक का औसत वार्षिक न्यूनतम 55.00 लाख रूपये का टर्न आवर का C.A. द्वारा प्रमाण पत्र (निधारित परिशिष्ट A के अनुसार)			
J	परिशिष्ठ 1,2,3,4 एवं A,B,C,D			
K	अगस्त 2021 मे फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये मेन पावर की संख्या			
L	सितम्बर 2021 में माह अगस्त 2021 में कार्यरत कार्मिको की संख्या जिनके EPF खाते मे अशंदान जमा कराया गया (चालान की फोटो कापी संलग्न करें)			
M	सितम्बर, 2021 में माह अगस्त, 2021 में कार्मिको की संख्या जिनके ESI खाते मे अशंदान जमा कराया गया(चालान की फोटो कापी संलग्न करें)			
N	बैंक खाते का विवरण			
	A. बैंक खाता धारक /संस्था का पूरा नाम			
	B. बैंक शाखा का नाम			
	C बैंक खाता प्रकार			
	D बैंक खाता संख्या			
	E. आई एफ एस सी कोड			

7. इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है:-

1. ....

2. --

3. --

4. --

8. मैं/हम कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर द्वारा जारी की गई बोली सूचना क्रमांक .... दिनांक .... मैं वर्णित समस्त शर्तों तथा सलंग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है) समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूं/करते हैं । साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/ हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही है। यदि बोली प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरूद्ध कानूनी/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
email id- sjeajmer@yahoo.com टेलीफोन नं 0145-4008829

वित्तीय निविदा

संवेदक / संस्थाओं के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए अपनी निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

(संवेदक द्वारा ई प्रोक्योरमेंट में ऑनलाईन भरा जायेगा)

क्रम सं.	कार्य की प्रकृति	श्रमिक की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी दर प्रति व्यक्ति प्रति माह	EPF की दर 13 : से राशि	ESI की दर 3.25 : से राशि	कुल राशि	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा शुल्क राशि रूपयों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रसोईया	कुशल	7176	933	233	8342	
2	चौकीदार	अकुशल	6552	852	213	7617	

1. GST नियमानुसार लागू होगी।
2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रतिव्यक्ति सेवा शुल्क दर शून्य स्वीकार्य नहीं होगी।
3. श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना / श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर में रसोईया व चौकीदार की जॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्यः–

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तें

Important Instruction : The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public procurement. Act, 2012" [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in . Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

1. बोली प्रस्तुत करने की इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र http://eproc.rajasthan.gov. in से डाउनलोड की जा सकती है। यह प्रपत्र http://sppp.rajasthan.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट sjerajasthan.gov.पद पर भी उपलब्ध है
2. ऑनलाईन निविदाए http://eporc.rajasthan.gov.in पर प्रस्तुत की जायेगी जिसके लिए इस पोर्टल पर इच्छुक निविदादाताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
3. ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाता के पास टाइप 2 एवं टाईप 3 का डिजिटल सिगनेचर टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के अनुरूप होना आवश्यक है।
4. बोली इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के अतिरिक्त सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर स्केन करते हुए तथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्केन करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर कर निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक प्रस्तुत करना होगा।
5. वित्तीय बिड प्रपत्र फोरमेट में ऑनलाईन दरें प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं की जावें
6. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओ की ही वित्तीय बिड को खोला जावेगा।
7. ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने के संबंध में आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु eprocurement cell. Rajasthan Info Services Ltd. (RISL) Department of Information Technology, Yojana Bhawan, Tilak marg, C-Scheme, Jaipur से 10 AM to 6 AM पर सम्पर्क किया जा सकता है।

2. ई.बिड प्रस्तुत करने के लिए पात्रताः

कोई भी व्यक्ति/फर्म/संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलंन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप, एक्ट,1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम टर्नऑवर रुपये 55.00 लाख (बोली मूल्य के बराबर) हो। इस हेतु Annexure.1, Annexure.2 पूर्ण रूपेण तथा चैक लिस्ट भरकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा तथा इससे सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रति लगाना आवश्यक होगा।

3. **बिड की सामान्य निर्देश एवं शर्तें :**

1. **उपापन संस्था–** कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर
2. **उपापन की पद्धति–** खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति से दर संविदा हेतु द्वि प्रकमी बोली।
3. बोली प्रपत्र का मूल्य–रुपये 500/– जिसका बैंकर्स चैक/डी.डी., उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के पक्ष में देय हो।
4. बोली प्रोसेसिंग शुल्क 1000/– रूपये जिसका डी.डी. **MD. RISL** जयपुर के नाम से जारी किया हो एवं जयपुर में देय हो।
5. बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध मे घोषणा पत्र (घोषणा पत्र का मानक प्रारूप संलग्न है)

(नोट– निर्धारित दिनांक एवं समय तक बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र , निविदा प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क की डीडी भौतिक रूप से उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर को जमा कराना होगा)

4. निविदा प्रस्तुत करने वाले को दर **BOQ** मे ऑनलाईन भरी जानी है।

5. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

6. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, के अर्न्तगत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

7. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा करावई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

8. श्रम, विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

9. श्रमिकों को निर्धारित न्युनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर मे श्रम विभाग की अधिसुचना के समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

10. संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई. पी. एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अशंदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

11. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने, की स्थिति में शिकायत करने सम्बन्धित प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

12. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगो। प्रस्तुत चालानों के साथ लगाये गये कर्मचारियों के **EPF, ESI,** के चालानों में नामों व खाता संख्या वर्णित आधार कार्ड सहित डिटेल प्रस्तुत करनी होगी।

13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करन का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं दिशा–निर्देशों आदि का पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सवेंदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. सवेंदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की

जावेगी। वस्तु एवं सेवाकर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के दायित्वो के निर्वहन का उत्तर दायित्व संवेदक का होगा।

15. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी , मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस. आई. करवाने/सामुहिक, दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. किसी संवेदक /संस्था द्वारा गलत /मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर कार्यालय आदेश रद्द कर दिया जाएगा एवं संवेदक / संस्था को ब्लेक लिस्ट कर दिया जाएगा।

19. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।

20. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म को मुक्त नहीं किया जाएगा।

21. निविदा के साथ सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा जारी जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

22. निविदा खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

23. श्रम विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, आयकर विभाग, जनस्वास्थ्य विभग, परिवहन विभाग, नगरपालिका, ग्राम पंचायत इत्यादि सरकारी/अर्द्ध सरकारी/निगम आदि से संबंधित समस्त प्रकार के कर एवं शास्तियों के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

24. <u>भुगतान</u> : बोलीदाता को निम्नानुसार भुगतान किया जायेगा : –

(अ) भुगतान संबधित छात्रावास अधीक्षक एंव ब्लाक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर स्वीकृत दर पर देय होगा। बिल का प्रमाणन उप निदेशक सान्याअवि अजमेर से कराना होगा।

(ब) कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश देना होगा एवं साप्ताहिक अवकाश के दिन अतिरिक्त कार्मिक लगाने होंगे अन्यथा अगले माह का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(स) न्यूनतम मजदूरी भुगतान का प्रमाण पत्र आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(द) समय–समय पर लागू श्रम अधिनियम एवं नियमों की पालना करनी होगी।

(य) सरकार को देय समस्त करों की कटौती बोली दाता के बिल में से की जायेगी।

(र) भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य करने के उपरान्त पिछले माह के ई. पी.एफ. ई.एस.आई.संविदा कर्मियों के खातों में जमा राशि का चालान एवं विवरण प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा। वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

(ल) जी.एस.टी. का भुगतान अलग से देय होगा।

25. अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत निविदादाता से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से तुरन्त कर ली जावेगी यदि फिर भी इस प्रकार वसूली पूरी तरह संभव नहीं हो तो राजस्थान लोक मॉग अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन कर ली जावेगी।

26. **<u>किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :</u>** उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और

बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

27. <u>सेवाओं की गारंटी/वारंटी –</u> बोली दाता को उपापन की सेवाएँ बोली दस्तावेजों एवं समय–समय पर उपापन संस्था द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप संपादित करनी होगी। निरीक्षण के दौरान सेवाएँ संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर उपापन संस्था को अनुबन्ध समाप्त करने या ऐसा निर्णय लेने का अधिकार होगा जो वह युक्तियुक्त समझें। उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं बोली दाता के लिए बाध्यकारी होगा।

28. <u>कार्या सम्पादन प्रतिभूति राशि</u> :–सफल निविदादाता को 1,37,500 की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, जो उपदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर, के पक्ष मे देय हों,कार्यालय में अधिकतम सात दिवस की अवधि मे प्रस्तुत करना होगा।निविदा दाता उक्त राशि डीडी/एफ.डी. के रुप मे पेश कर सकते है।

29. <u>करार का निष्पादन (Execution of Agreement)</u>

1. सफल बोली लगाने वाले को निविदा दाता को स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है । विशेष परिस्थितियों में कार्यालय को उक्त अवधि बढाने या घटाने का अधिकार होगा।
2. यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिश्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपापन संस्था ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरो की बोली लगाने वालों को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
3. बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर रू: 500/– के मूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार निष्पादित करना होगा।
4. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क निविदादाता को दी जाएगी।

30. <u>बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग</u> : अधिनियम के अध्याय 4 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबंध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और और धारा 46 के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

31. <u>वाद–विवाद</u> : किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में प्रकरण पक्षकारों द्वारा विभागाध्यक्षों को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में स्वयं अथवा विभाग के सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह अधिकारी इस संविदा से संबंधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

32. <u>न्यायिक क्षेत्र</u> : इस निविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका न्यायिक क्षेत्र अजमेर शहर होगा।

33. कार्य की अवधि कार्यादेश तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी **जिसे आगे भी** बढाया जा सकता है। अवधि घटाने या बढाने का अधिकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अजमेर के पास होगा। स्थायी कार्मिक उपलब्ध होने की दशा में ठेका समाप्त कर दिया जाएगा।

34. रसोईयो एवं चौकीदारों के कार्यो को वित्तीय स्वीकृति के लिए दरो के संबंध में पृथक पृथक ईकाई माना जाएगा।

35. प्रत्येक पृष्ठ पर पेज नम्बर अंकित करना है।

36. अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राज. लोक उपापन मे पादर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार मान्य होगी तथा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना होगा।

37. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निम्न परिस्थितियों मे जब्त कर ली जायेगी:–

1–संविदा की शर्तो के उल्लघन करने पर।

2–सन्तोषजनक रुप से कार्य नही करने पर।

उक्त दोनो स्थितियों मे कार्यालयाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

38. शर्तों के उल्लघंन पर फर्म/संस्था को ब्लेक लिस्ट भी किया जा सकता है।

39. Annexure-1,2 3,4 व **A, B ,C, D** संलग्न करना आवश्यक है।

40. निविदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निविदा का निर्णय किया जावेगा–

क्र. सं.	चयन का आधार		कार्यकुशलता का विवरण	चयन के लिए निर्धारित अंकों की संख्या
1.	गत तीन वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20 का औसत टर्नओवर ;सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर (एनेक्सर– 1 अनुसार)	अ.	50 लाख तक	10 अंक
		ब.	50,00,001 से 1 करोड़	15 अंक
		स.	1 करोड़ से अधिक	20 अंक
		द.	*यदि एक से अधिक निविदादाता का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को **05** अंक अतिरिक्त देय होंगे।*	
2.	संवेदक/फर्म माह अगस्त 2021 में उपलब्ध कराये गये कुल मैन–पावर की संख्या व उनको देय माह अगस्त–2021 ईपीएफ एवं ईएसआई अशंदान माह सितम्बर, 2021 में कितने कार्मिकों का जमा कराया गया हैं। ;चालानों की प्रति संलग्न करें।	अ.	1–25 कार्मिको तक	10 अंक
		ब.	26–50 कार्मिको तक	15 अंक
		स.	51–75 कार्मिको तक	20 अंक
		द.	75 से कार्मिको से अधिक *यदि एक से अधिक निविदादाता हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सप्लाई करने केवल एक संवेदक को **05** अंक अतिरिक्त देय होंगे।*	
3.	संवेदक /फर्म का रजिस्ट्रेशन के अनुसार ; रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें	अ.	राजस्थान राज्य के बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	10 अंक
		ब.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु अजमेर संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक
		स.	अजमेर संभाग के अंदर किन्तु अजमेर जिले से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	20 अंक
		द.	अजमेर जिले की फर्म/संवेदक होने पर	25 अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संस्थाओं को एक समान अंक प्राप्त होते है तो उपापन समिति द्वारा किसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा जिसका समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

D/ARV19/19-20/ACC/NIVIDA

(अ) चौकीदारों के कार्य एवं शर्तों का विवरण –

1. निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
2. छात्रावास में आवक–जावक रजिस्टर, गेट रजिस्टर/विजिटर रजिस्टर का संधारण करना।
3. आवासीय छात्रों/छात्राओं के अलावा बाहरी छात्रों/छात्राओं का प्रवेश निषेध होगा।
4. आवासीय छात्रों/छात्राओं को परिजनों से मिलवाने का रजिस्टर में इन्द्राज करना होगा।
5. छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
6. महिला एवं छात्रा छात्रावासों हेतु 8–8 घण्टे के अन्तराल से चौकीदारो की व्यवस्था करनी होगी।
7. छात्र छात्रावासों हेतु प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक चौकीदार रखना होगा।

(ब) राजकीय छात्रावासों में चौकीदारी के कार्य हेतु विशिष्ट शर्तें–

1. छात्रावास की सम्पत्ति का दुरूपयोग नही करना।
2. चौकीदारी कार्य ढंग से करते हुये ड्यूटी पर उपस्थित होना।
3. चौकीदारी कार्य करने वाला शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है।
4. चौकीदार को खाने–पीने के लिए किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देय नहीं है।
5. चौकीदार को स्वयं के खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
6. आवासीय छात्रों/छात्राओं से किसी प्रकार की कठोर व अप्रिय भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।
7. छात्रावास में लगाये गये पेड़ पौधों को साफ सुथरा रखना एवं नियमित पानी देना होगा।
8. छात्रावास परिसर मे मद्य पान निषेध होगा।
9. चौकीदारी कार्य करने वाले को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से अपने दायित्व की पालना करनी होगी।
10. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार समय समय पर चौकीदारी व अन्य निर्देशों की पालना करनी होगी।
11. छात्रावास परिसर मे सामग्री या सामान की संख्या मे कमी, दुरूपयोग व जान बूझकर खराब करने पर सेवाप्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
12. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर की 2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी/अन्य से कार्य कराने की राशि, जो भी अधिक हो, सेवा प्रदाता को वहन करनी होगी।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार अ में 1 से 7 एवं ब में 1 से 12 तक अंकित शर्तो को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

दिनांक–

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

<u>रसोई के कार्य का विवरण एवं विशिष्ट शर्ते–</u>

1. आवासीय छात्र/छात्राओं के लिये नाश्ता– चाय, दूध, पोहे, दलिया, अंकुरित चने एवं अन्य आइटम बनाना।
2. आवासीय छात्रों/छात्राओं के लिये सुबह का भोजन जिसमें दाल, चावल, सब्जी चपाती, दही, सलाद आदि बनाना।
3. आवासीय छात्रों/छात्राओं क लिये रात का भोजन बनाना जिसमे दाल चपाती, खिचड़ी, चावल, सब्जी दूध आदि बनाना।
4. रसोई की साफ–सफाई रखना व प्रयोग में आने वाले बर्तनों की साफ–सफाई देखभाल व सुरक्षा करना।
5. आवासीय छात्रों/छात्राओं के लिये दूध, नाश्ता, भोजन, फल आदि के वितरण व खिलाने में सहयोग करना।
6. खाद्य सामग्री का अपव्यय नही करना, समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना, स्वंय के खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना कठोर एवं अप्रिय भाषा का प्रयोग नही करना, सम्पूर्ण प्रकिया में स्वच्छता का विषेश ध्यान रखना आदि।
7. निदेशालय द्वारा जारी मेनू एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार रसोई संबंधी कार्य करना।
8. रसोईयों के प्रयोग में आने वाली सामग्री या सामान की संख्या में कमी, दुरूपयोग व खराब होने पर सेवाप्रदाता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
9. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली व्यवस्था – 1. रसोई में आवश्यकतानुसार प्रयोग मे आने वाले बर्तन, उपकरण, गैस आदि उपलब्ध करवाए जायेंगे। 2. नाश्ता भोजन आदि बनाने की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। 3. रसोई की साफ–सफाई में प्रयोग में आने वाला समस्त सामान उपलब्ध करवाया जायेगा।
10. कार्य से अनुपस्थित रहने पर स्वीकृत/अनुमोदित दर की 2 गुना राशि अथवा दैनिक मजदूरी/अन्य से कार्य कराने की, जो भी राशि अधिक हो, सेवा सेवाप्रदाता को वहन करनी होगी।
11. प्रत्येक दिन दिये जाने वाला नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन की समस्त तैयारी पूर्व में ही करनी होगी।
12. रात्रि भोजन सांय 8 बजें तक बनाना होगा।
13. 1 से 25 छात्रों/छात्राओं पर एक रसोईया, 26 से 50 छात्र/छात्राओ पर दो रसोईये, 51 से 75 छात्र/छात्राओं पर तीन रसोईये एवं 75 से अधिक छात्र/छात्राओ पर चार रसोईये उपलब्ध कराने होगे।

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1 से 13 तक वर्णित शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मै/हम उपरोक्त वर्णित भार्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

दिनांकः–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अजमेर के अधीन संचालित राजकीय छात्रावासो की सूची

क्र. स.	नाम छात्रावास	स्वीकृत छात्र / छात्रा संख्या	जॉब बेसिस पर रसोईयों की अनुमानित संख्या	जॉब बेसिस पर चौकीदारो की अनुमानित संख्या
1	रा.छा. बालक अजमेर	30	2	1
2	रा.छा. कन्या अजमेर	25	1	2
3	रा.छा. बालक पुष्कर	40	1	0
4	रा. अम्बे. बालक छा.किशनगढ	40	1	1
5	राज. अनु0जाति महिला महा. स्तरीय छा. कोटडा अजमेर	105	4	3
6	पालनहार बालक छात्रावास, कोटड़ा, अजमेर	50	2	1
7	रा.छा. बालक अरांई	25	0	0
8	रा.छा. बालक रूपनगढ	45	2	1
9	रा.छा. बालक सावर	35	0	0
10	रा.छा. बालक सांपला	45	2	0
11	रा.छा. बालक प्रान्हैडा	25	1	1
12	रा.छा. बालक पीसागन	40	1	0
13	रा.छा. बालक गगवाना	45	1	0
14	रा.अम्बे. बालक छा. मसूदा	45	1	1
15	रा.अम्बे.बालक छा. बिजयनगर	65	3	1
16	रा.छा. बालक ब्यावर	60	3	1
17	रा.छा. बालक केकडी	70	3	1
18	रा.छा. बालक सरवाड	50	2	0
19	रा.छा. बालक भिनाय	35	2	1
20	देवनारायण बालक छा. मसूदा	50	2	1
21	देवनारायण बालक छा. भिनाय	30	2	1
22	देवनारायण कन्या छा. घुघरा	70	3	3
	योग	1025	39	20

नोटः— छात्रावासों में आवासीय बच्चों की संख्या के अनुसार कामगारों की संख्या कम/अधिक की जा सकती है।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

Annexure '1'

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s. -- Address-- -- for the last three financial years in supply of regarding work was :-

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2017-18		
2.	2018-19		
3.	2019-20		

Date:

Place:

Signature of the Auditor/Seal
Charted Accountant
(name and Address)
Tel. No. :-
Mob.No. :-

Annexure '2'

बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:–

क्र. सं	विवरण	रजि0 सं0	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970) (सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह मे लाईसेन्स प्रस्तुत करना होगा)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट, 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956				
7	बिड प्रपत्र शुल्क , प्रकिया शुल्क, बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र संलग्न करना।				
8	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल पर शपथ पत्र संलग्न करना।				
9	60 मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का प्रमाण पत्र संलग्न करना				
10	गत तीन वर्षो का सीए की ऑडिट रिपोर्ट (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20) संलग्न करना				
11	गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2019–20) संलग्न करना				
12	गत तीन वर्षो का औसत वार्षिक न्यूनतम 55.00 लाख रूपये का टर्न ओवर का C A द्वारा प्रमाण पत्र (निर्धारित परिशिष्ठ 1 के अनुसार)				
13	परिशिष्ठ 1,2,3,4 एवं A,B,C,D संलग्न करना				
14	अगस्त 2021 मे फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये मेन पावर की संख्या				
15	सितम्बर 2021 में माह अगस्त 2021 में कार्यरत कार्मिको की संख्या जिनके EPF खाते मे अशंदान जमा कराया गया (चालान की फोटो कापी संलग्न करें)				
16	सितम्बर, 2021 में माह अगस्त, 2021 में कार्मिको की संख्या जिनके ESI खाते मे अशंदान जमा कराया गया(चालान की फोटो कापी संलग्न करें)				

हस्ताक्षर निविदादाता
दिनांक :–

उप निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अजमेर

Annexure 3

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि मैनें/हमने निविदा शर्तों के विरूद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या.....................................दिनांक ....है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांकः–

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Annexure 4

निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त जानकारी / शर्तों को मैंने / हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धरा 46 एवं नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हे, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय सील

Annexure – A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest:

Any person participating in the procurement process shall –

a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g) disclose conflict of interest, if any; and
h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly

influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations. i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bjd in a bidding process. Participation by a Bidder in more

than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this

does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declatation by the Bidder

In relation to my/our Bid submit to.....................For procurement of...in response to their notice Inviting Bids No......................Date..................I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer. not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements of misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder

Name:
Desination:
Address:

Annexure C

Grievance Redressal duringProcurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ZILA PRISHAD, AJMER**

The designation andaddressoftheSecondAppellateAuthority is **DIRECTOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT AJMER**

1. **Filing an appeal** :- If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:
Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be tiled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective Bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
4. **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters,namely:-
(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.
5. Form of Appeal
(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.
6. Fee for filing appeal
(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled India payable in the name of Appellate Authority concerned.
7. Procedure for disposal of appeal
(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, Page 15 to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

1. Official address, ifany:

2. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

........................(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

Place ....

Date ....

Appellant's Signature :

Annexure – D:

Additional Conditions of Contract

1- Correction of Arithmetical Errors :

Provided that the bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

IV. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2- Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Documents may be increased or decreased, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

iii. Additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% and 50% of Quantity of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Date:
Place:

Signature of Bidder

Name:
Desination:
Address:

Form of Bid~Securing Declaration

Date:

Bid No. :

Alternative No. :

To:

………………………………………….

………………………………………….

We, the undersigned, declare that: We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we ate required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition ofBid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after 6pening of bids;

(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) when we fail to commence the supply ofthe goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) when we do not deposit the perfornlance security within specified period after the supply/work order is placed;and

(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) We are not the successful Bidder;

(ii) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;

(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.

(iv) The cancellation ofthe procurement process; or

(v), The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.: --

Name : --

In the capacity of : ----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on   day of

Corporate Seal --

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid,]